कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक –2921 / 14–1 दिनांक, मुरादाबाद, 24 अप्रैल, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– जनपद सम्भल में मेरठ–बदायूँ मार्ग (राज्यमार्ग सं0–18) कि0मी0 142.600 से 162.00 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 23.28 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2274 बाधक वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ :– प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल का पत्रांक–1436 / 14–1, दिनांक–07.04.2017.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना हैं कि जनपद सम्भल में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, सम्भल द्वारा मेरठ–बदायूँ मार्ग (राज्यमार्ग सं0–18) कि0मी0 142.600 से 162.00 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 23.28 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2274 बाधक वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों के अनुसार शासन को भेजा जाना है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल द्वारा विषयक कम में दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित 3 प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक – 3 प्रतियां।

भवदीय,

(आर0 पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक– / 14–1, उक्तदिनांकित।

1–प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल को सन्दर्भित पत्र के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र / तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2–प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सम्भल को विषयक कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0 पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

भाग–3

(संबन्धि वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। – नहीं।

15. क्या संबन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं। – हाँ।

16. प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। – प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित है।

तिथि 24/5/17
स्थान mbd

हस्ताक्षर
नाम (आर० पी० वर्मा)
सरकारी मोहर वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।